

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 21/12/11

संचिका सं0 17/विविध-एस-54/2008.....1371(17).....स्वा0, विभाग के अंतर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के औषधि विभाग के सह-प्राध्यापकों को दिनांक 23.12.2010 को समपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्राध्यापक के पद पर वेतनमान 37,400-67,000/-रु0 ग्रेड-पे-8700/रु0 में प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति देते हुए स्तम्भ-3 में अंकित चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र0 | चिकित्सक शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान. | नव पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | डा० विभू प्रियदर्शी, पटना चिऽमहा०, पटना। | पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना |
| 2 | डा० विरेन्द्र कुमार सिंह, दरभंगा चिऽमहा०, लहेरियासराय | दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय |
| 3 | डा० राजीव रत्न चौधरी, नालंदा चिऽमहा०, पटना। | नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना |
| 4 | डा० विष्णुदेव ठाकुर, दरभंगा चिऽमहा०, लहेरियासराय | दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय |
| 5 | डा० प्रणय कुमार सिन्हा पटना चिऽमहा०, पटना। | पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना |
| 6 | डा० दीपांकर बराट, नालंदा चिऽमहा०, पटना | अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया |

2. प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से 21/12/2011

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-17/विविध-एस-54/2008- 1371(17)

/पटना, दिनांक- 21/12/11

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना /वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वा० विभाग के आप्त सचिव /सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अवर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।